

कार्यालय, जिला परिषद, किशनगंज।

-:सूचना:-

शिक्षा विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं० 1142, दिनांक 01.07.2019 के द्वारा बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा-शर्त) नियमावली, 2006 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम 6 (i) (ख) में निहित प्रावधान के आलोक में छठा चरण 2019-20 के जिला परिषद माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन की कार्रवाई एवं प्रक्रिया निर्धारित की गयी थी। 54-किशनगंज विधान सभा उप-निर्वाचन, 2019 के कारण नियोजन से संबंधित गतिविधि निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप नहीं हो सकी है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में शिक्षा विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना सं० 1973, दिनांक 28.10.2019 के द्वारा औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन करने के स्तर से नियोजन पत्र निर्गत करने तक से संबंधित कार्यक्रम (समय तालिका) संशोधित किया गया है, जो निम्न प्रकार है:-

(I)	मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	01.11.2019
(II)	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	04.11.2019
(III)	औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति	05.11.2019 से 20.11.2019 तक
(IV)	आपत्तियों का निराकरण	27.11.2019
(V)	मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन	30.11.2019
(VI)	मेधा सूची के अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण-पत्रों का मिलान/जाँच	02.12.2019 से 05.12.2019 तक
(VII)	जिला परिषद एवं शहरी निकाय के द्वारा मेधा सूची का अनुमोदन	09.12.2019
(VIII)	नियोजन ईकाई द्वारा मेधा सूची का सार्वजनीकरण	10.12.2019
(IX)	अनुमोदित मेधा सूची एवं रोस्टर बिन्दु के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र का संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से सत्यापन	28.12.2019
(X)	जिला परिषद नियोजन ईकाई द्वारा काउंसिलिंग के उपरान्त नियोजन पत्र निर्गत करना	31.12.2019

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद -सह- सदस्य सचिव,
नियोजन समिति, किशनगंज।

ज्ञापांक-527../जि०प०, दिनांक-04-11-2019

प्रतिलिपि :: आई०टी० प्रबंधक, एन०आई०सी०, किशनगंज को सूचनार्थ एवं उनसे अनुरोध है कि सूचना को एन०आई०सी० के वेबसाईट पर आज ही ऑपलोड करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किशनगंज एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद -सह- सदस्य सचिव,
नियोजन समिति, किशनगंज।